



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 31, गुरुवार, शाके 1933-सितम्बर 22, 2011
Bhadra 31, Thursday, Saka 1933-September 22, 2011

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 22, 2011

संख्या प. 2(34) विधि/2/2011:-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

**राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2011
(2011 का अधिनियम संख्यांक 28)**

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई]

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 1 की धारा 19 का संशोधन.-** राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (2003 का अधिनियम सं. 1) की धारा 19 की उप-धारा (4) में, विद्यमान

अभिव्यक्ति "राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा" के स्थान पर
अभिव्यक्ति "जिला न्यायाधीश संवर्ग" प्रतिस्थापित की जायेगी।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(Group-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, September 22, 2011

No. F. 2(34) Vidhi/2/2011.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Kiraya Niyamtran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011 (2011 Ka Adhiniyam Sankhyank 28):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN RENT CONTROL (AMENDMENT)
ACT, 2011**

(Act No. 28 of 2011)

[Received the assent of the Governor on the 21st day of September, 2011]

An

Act

further to amend the Rajasthan Rent Control Act, 2001.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Rent Control (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force with effect from such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 1 of 2003.-In sub-section (4) of section 19 of the Rajasthan Rent Control Act, 2001(Act No. 1 of 2003), for the existing expression “the Rajasthan Higher Judicial Service”, the expression “the District Judge cadre” shall be substituted.

प्रकाश गुप्ता,
Principal Secretary to the Government.

3

Government Central Press, Jaipur.